

पत्रांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-01/2025/89/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक19/2/2026

विषय : स्व० राजकुमार झा, न्यायमित्र, ग्राम पंचायत-गरौल, प्रखंड-अलीनगर, जिला-दरभंगा, स्व० लालबाबू राम, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी-मझरिया शेख, प्रखण्ड-मझौलिया, जिला-पश्चिम चम्पारण एवं स्व० नागेन्द्र प्रसाद, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत-कटेसर, प्रखंड-बिहटा, जिला-पटना की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹4.00 लाख प्रति इकाई की दर से कुल ₹12,00,000.00 (बारह लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. जिलाधिकारी, दरभंगा, के पत्रांक 349032 दिनांक 13.01.2026 द्वारा स्व० राजकुमार झा, न्यायमित्र, ग्राम पंचायत-गरौल, प्रखंड-अलीनगर, जिला-दरभंगा की दिनांक 30.04.2025 को सड़क दुर्घटना से हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी है। तथा इतनी ही राशि का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 203 दिनांक 17.01.2026 के साथ संलग्न आदेश फलक द्वारा स्व० लालबाबू राम, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी-मझरिया शेख, प्रखण्ड-मझौलिया, जिला-पश्चिम चम्पारण की दिनांक 21.01.2025 को वाहन दुर्घटना से मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी है। तथा इतनी ही राशि का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 179 दिनांक 16.01.2026 स्व० नागेन्द्र प्रसाद, ग्राम कचहरी न्यायमित्र, ग्राम पंचायत-कटेसर, प्रखंड-बिहटा, जिला-पटना की दिनांक 04.02.2023 को प्राकृतिक रूप से हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित

7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०-01/2025 में पृष्ठ संख्या-...66.../टि० पर दिनांक-...05/02/2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका 6प/नि०प्र०/अनु०अनु०-01/2025 के पृष्ठ-...66 /टि० पर दिनांक-...09/02/26 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत राशि का निमयानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं पटना के द्वारा संबंधित कर्मियों की मृत्यु एवं उनके सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-01/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक...12/2/26

प्रतिलिपि :-जिला पदाधिकारी, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं पटना/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक: 6प०/नि०प्र०/अनु०अनु०-01/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक...12/2/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव